www.dhyeyaias.com

अक्टूबर 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 कोविड-19 के दौरान वैश्विक राजनीति

महिलाओं का कुशल नेतृत्व

2 विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2020: एक अवलोकन

3 कोविड–19 के पश्चात प्रवासी मजदूरों का भविष्य

4 नये श्रमिक कानून पर उठता विवाद

5 संयुक्त राष्ट्र में पुनर्सुधार की आवश्यकता पर भारतीय दृष्टिकोण

6 जेनेटिक इंजीनियरिंग और उससे संबंधित चिंताएं

7 ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ और भारत की प्रतिबद्धता

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी शुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अक्टूबर 2020 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- कोविड-19 के दौरान वैश्विक राजनीतिः महिलाओं का कुशल नेतृत्व
- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2020: एक अवलोकन
- कोविड-19 के पश्चात प्रवासी मजदूरों का भविष्य
- नये श्रमिक कानून पर उठता विवाद
- संयुक्त राष्ट्र में पुनर्सुधार की आवश्यकता पर भारतीय दृष्टिकोण
- जेनेटिक इंजीनियरिंग और उससे संबंधित चिंताएं
- ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ और भारत की प्रतिबद्धता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 कोविड-19 के दौरान वैश्विक राजनीतिः महिलाओं का कुशल नेतृत्व

चर्चा का कारण

- जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड ऐसे देश हैं, जहां महिलाएं राष्ट्र प्रमुख हैं। यद्यपि ये देश तीन अलग-अलग महाद्वीपों में स्थित हैं, फिर भी तीनों देशों ने अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कोविड-19 महामारी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में कहा गया है कि जिन राज्यों में महिला राज्यपाल हैं, वहाँ कोविड-19 से कम लोगों की मौतें हुई हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार महिला राज्यपालों ने निर्णायक रूप से सुनिश्चित किया कि महामारी की इस घड़ी में लोगों को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि महिला नेता संकट के समय में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष महिलाओं से कमतर हैं। सभी महिला नेता आवश्यक रूप से कुशल नहीं हैं, और कई पुरुष ऐसे हैं जो सबसे प्रभावी और करिश्माई नेता साबित हुए हैं। इस लेख में राजनीति में महिलाओं की स्थिति एवं उनकी भागीदारी का अवलोकन किया जाएगा।

परिचय

- भारत में महिलाओं को 1950 से मतदान करने की अनुमति दी गई थी और इसलिए 1951-52 के पहले आम चुनाव में पुरुषों के साथ वे बराबरी से भाग ले सकती थीं। यह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के तथाकथित परिपक्व लोकतंत्रों के अनुभव के विपरीत है। अमेरिका में, 1920 में महिलाओं को मतदान करने से पहले कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। यूरोप के अधिकांश देशों ने अंतर-युद्ध (inter-war) काल के दौरान सार्वभौमिक मताधिकार हासिल किया। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश पुरुष युद्ध के मैदान में चले गए थे। ऐसे में महिलाओं की बढ़ती संख्या को यह दिखाने का अवसर मिला कि वे उन गतिविधियों में कुशल हैं जहां पुरुषों का एकमात्र संरक्षण था।
- वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक आवश्यक तत्व है। आधुनिक लोकतान्त्रिक युग तथा महिला सहस्त्राब्दी में महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील एवं महिला विकास के प्रति बढ़ती चेतना के फलस्वरूप जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति में भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
- भारतीय संविधान द्वारा लोकतन्त्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य में लिंग विभेद रहित समानता को बल दिया गया, जिसे व्यवहारिक एवं धरातलीय आधार देने हेतु 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा विस्तृत एवं वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। इन संशोधनों द्वारा स्थानीय संस्थाओं को सुगठित , सुदृढ एवं अधिकार युक्त बनाने के साथ ही इनमें दलित वर्गों व महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर भारत में लोकतन्त्र, कल्याणकारी तथा सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडलों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु प्रयास किए गए क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतन्त्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महिलाओं की दशा एवं स्थिति को सुधारने तथा भारतीय लोकतन्त्र में सामाजिक न्याय की स्थापना एवं सुदृढ़ता के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

- महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन करती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और सह-लेखक राघवेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि महिला ग्राम प्रधानों ने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश किया जिससे उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया गया। उदाहरण के लिए, महिला ग्राम प्रधानों ने पानी की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए निवेश करने की अधिक संभावना पर जोर दिया साथ ही पीने के पानी का संग्रह करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाया।

- सार्वजनिक नीति में महिलाओं के लिए अधिक स्थान को बढ़ावा देने से लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को बल मिलता है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आम तौर पर हर समाज में महिलाओं की संख्या आबादी का आधा होती है। भले ही पिछले सालों में भारत में यह अनुपात गिरता गया हो, अभी भी उनकी संख्या 45 प्रतिशत से हर हाल में ज्यादा है। वहीं केन्द्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का कम आंकना और भी चौंकाने वाला है। उदाहरण के लिए, 2019 के चुनाव ने महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या को लोकसभा में भेजा। इसके बावजूद, महिलाएं लोकसभा की कुल ताकत का सिर्फ 14% हिस्सा हैं। जबकि बेल्जियम, मेक्सिको जैसे देशों में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा के निचले सदन में 60% सीटों पर महिला काबिज हैं।
- चूंकि चुनाव के लिए महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उचित कानूनी उपायों के माध्यम से 1990 के दशक के मध्य से सभी प्रमुख राज्यों में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण की स्थापना की गई थी। महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार 1996 में एच डी देवेगौड़ा सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। किन्तु कई दलों के पुरुष सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया। इसके बाद, एनडीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोनों सरकारों ने लगातार संसद में विधेयक को फिर से प्रस्तुत किया, किन्तु दुर्भाग्य से यह विधेयक आज तक पास नहीं हो सका है।
- महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संविधान के 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसी 33 फीसदी में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन 108वां विधेयक राज्यसभा में 2010 में पारित हो चुका है। अब लोकसभा में इसे पारित करवाने की बारी है।

राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। यह न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है बल्कि राजनीति के प्रवेशद्वार की बाधाओं की तरह काम करता है।
- चुनावों में महिलाओं को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की है बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी इसी राह पर चल रही हैं। और इसकी वजह बताई जाती है उनमें जीतने की क्षमता कम होना, जो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है।
- लोकसभा और फैसले लेने वाली जगहों, जैसे कि मंत्रिमंडल, में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व सीधे-सीधे राजनीतिक ढांचे से उनको सुनियोजित ढंग से बाहर रखने और मूलभूत लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करता है।
- अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया कि घरेलू जिम्मेदारियाँ जैसे-बच्चों की देखभाल, घर के सदस्यों के लिये खाना बनाना व अन्य पारिवारिक कारणों से वे राजनीति में भाग नहीं ले पातीं। इसके अलावा कई महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेतीं। जैसे- राजनीति में रुचि न होना, जागरुकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन आदि। पूर्व में किए गए अध्ययन में कुछ महिलाओं ने माना कि सांस्कृतिक मानदंडों तथा रूढ़िवादिता के कारण वे राजनीति में भाग नहीं ले पातीं हैं।

आगे की राह

- संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं को सुरक्षित प्रतिनिधित्व देना होगा। ऐसा होने पर वे न सिर्फ सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनेंगी, उसमें सहभागी होंगी बल्कि महिलाओं और लड़कियों के हिसाब के कानून बनवाने और उन्हें लागू करवाने में भी योगदान देंगी।
- भारत में महिला नेताओं की कमी नहीं है। बस इतना है कि वे राजनीति से दूर हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। पार्टी प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वे पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। इसके लिए पार्टियों को और लोकतांत्रिक भी बनाना होगा और आंदोलनों से परे राजनीति की मुख्यधारा में आने के रास्ते खोलने होंगे।
- विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सकारात्मक दिशा में काम किया जाना इस वक्त की जरूरत है। इसके लिए महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया में बाधक बनने वाली चीजों को दूर किए जाने की जरूरत है और चुनावी राजनीति में मौजूदा दूरियों को पाटने के साथ ही इसे लैंगिक भागीदारी वाला बनाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

प्र. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों की चर्चा करते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करें।

02 विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2020: एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 2010 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। यह अधिनियम व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को रेगुलेट करता है। गौरतलब है कि साल 2010 से 2019 के बीच विदेशी योगदान की वार्षिक आमद लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन इसके कई प्राप्तकर्ताओं ने इस धन को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया है जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था।
- सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य गैर-मुनाफे के काम में पारदर्शिता लाना है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस अधिनियम ने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिये असहज स्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिनके पास विदेशी संस्थाओं के साथ वित्तीय भागीदारी है। इस कारण कई सिविल सोसायटी समूह इन संशोधनों पर विशेष रूप से ऐसे समय में सवाल उठा रहे हैं जब देश को COVID-19 महामारी के हानिकारक प्रभावों सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिये मजबूत नागरिक समाज संगठनों और नेटवर्क की आवश्यकता है।

अधिनियम में प्रमुख संशोधन

- **प्रशासनिक उद्देश्य के लिए विदेशी योगदान के इस्तेमाल में कटौती:** एक्ट के अंतर्गत विदेशी योगदान प्राप्त करने वाला गैर-सरकारी संगठन सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए उस रकम का इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए उस योगदान को प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त वह 50% से अधिक रकम का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे के लिए नहीं कर सकता। अधिनियम इस सीमा को 20% करता है।
- **एफसीआरए एकाउंट:** विदेशी योगदान सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की उस शाखा में लिया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार

Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2020

अधिसूचित करेगी। साथ ही बैंक जिस खाते को 'एफसीआरए' निर्दिष्ट करेगा, उसी में विदेशी योगदान लिया जाएगा। इस खाते में विदेशी योगदान के अतिरिक्त कोई अन्य राशि न तो ली जाएगी, न ही जमा की जाएगी। वह व्यक्ति इस योगदान को रखने या उसके इस्तेमाल के लिए अपनी पसंद के किसी अन्य अनुसूचित बैंक में दूसरा एफसीआरए खाता खोल सकता है।
- **विदेशी योगदान का ट्रांसफर:** किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक्ट के अंतर्गत 'व्यक्ति' में व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है।
- विदेशी योगदान के उपयोग पर प्रतिबंध: सरकार उन व्यक्तियों को अनुपयोगी विदेशी योगदान के इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर सकती है जिन्हें यह योगदान प्राप्त करने की पूर्व अनुमति दी गई थी। ऐसा किया जा सकता है, अगर संक्षिप्त जांच, या आगे की किसी लंबित जांच के आधार पर सरकार यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- **रजिस्ट्रेशन को रद्द करना:** एक्ट के अंतर्गत सरकार किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन को अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए रद्द कर सकती है। यह अवधि अतिरिक्त 180 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

एनजीओ एवं उनकी गतिविधियां

- एनजीओ- नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ किसी मिशन के तहत चलाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। कार्यक्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल-विकास आदि में से कोई भी चुना जा सकता है।
- एफसीआरए डैशबोर्ड के अनुसार, एफसीआरए अधिनियम के तहत 20,000 से अधिक गैर-लाभकारी एनजीओ पंजीकृत हैं। वे मानव और श्रम अधिकारों, लैंगिक मुद्दों, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, कानूनी सहायता, यहां तक कि अनुसंधान से संबंधित विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं।
- वे सरकार के कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जो अकसर राज्य परियोजनाओं से

अछूते रह जाते हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान, ऐसे कई संगठनों ने राज्य एजेंसियों और आबादी के सबसे कमजोर वर्गों, उदाहरण के लिए प्रवासी श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई सरकार और नागरिक समाज के प्रयासों का एक संयोजन है। केरल, ओडिशा और राजस्थान सहित कई राज्यों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक स्तर के संगठनों और स्वयं-सहायता समूहों ने कई मोर्चे पर नेतृत्व किया है।
- एनजीओ की गतिविधि केवल परोपकारी कार्यों में संलग्न नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के साथ उनका जुड़ाव भी अहम है। सरकारी कार्यक्रमों की कमियों को नागरिक समाज में उजागर करना, भेदभाव, हाशिए पर जी रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आवाज उठाना व मानव गरिमा की रक्षा करना इंका प्रमुख कार्य है। इस तरह के हस्तक्षेप और आलोचनाएं एक मानवीय समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनजीओ की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने देश में कुछ पथ-तोड़ने वाले कानूनों में योगदान दिया है जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, वन अधिकार अधिनियम, 2006 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 शामिल हैं।

एनजीओ से संबन्धित कुछ प्रमुख मुद्दे

- भारत में गैर सरकारी संगठन का सामना कर रही है, वह सरकारी धन या बाहरी दान पर निर्भरता है। इस निर्भरता के साथ, एनजीओ अपने कार्य को पूरा करने में कम लचीले होते हैं क्योंकि अधिकांश कार्य धन पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा, एनजीओ की संरचनाएं प्रकृति में नौकरशाही बन गई हैं, जिससे समग्र विकास में कमी आई है।
- इस समय देश में सामाजिक सेवा करने वाले करीब 33 लाख गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं और इन संगठनों को केन्द्र तथा राज्य सरकार से अरबों रूपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। इनमे से कई संगठनों को अपने परोपकारी कार्यों के लिये विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती है। कुछ जानकारों का मानना है कि एनजीओ अकसर दानदाताओं से पैसे लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं।
- सरकारी मदद प्राप्त करने वाले अधिकांश संगठन धन के उपयोग का विवरण सरकार को देना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अधिकांश गैर सरकारी संगठन सिर्फ कागजी बनकर रह गये और उन्होंने सरकार से मिली आर्थिक सहायता का उपयोग संभवतः सामाजिक कार्यो के लिये करने की बजाये अपनी जरूरतों को पूरा करने में किया है।
- वैसे सरकार और एनजीओ दोनों के लक्ष्य मानव के सामुदायिक सरोकारों से जुड़े हैं। समावेशी विकास की अवधारणा भी खासतौर से स्वैच्छिक संगठनों के मूल में अंतर्निहित है। बावजूद प्रशासनिक तंत्र की भूमिका कायदे-कानूनों की संहिताओं से बंधी है, लिहाजा उनके लिए मर्यादा का उल्लंघन आसान नहीं होता। जबकि स्वैच्छिक संगठन किसी आचार संहिता के पालन की बाध्यता से स्वतंत्र हैं। इसलिए वे धर्म और सामाजिक कार्यों के अलावा समाज के भीतर मथ रहे उन ज्वलंत मुद्दों को भी हवा देने लग जाते हैं, जो उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं और तथाकथित परियोजनाओं के संभावित खतरों से जुड़े होते हैं।

आगे की राह

- गैर-सरकारी संगठन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नियोजन प्रक्रिया में राज्य की भूमिका, राजनीतिक दलों, भागीदारी, जमीनी स्तर के संगठनों की सक्रिय भागीदारी, दानदाता एजेंसियों की भूमिका आदि लोगों की भागीदारी और लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकारों की रक्षा, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण, मूक क्रांति में प्रवेश आदि गैर-सरकारी संगठनों के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इस तरह एनजीओ लोगों में जागरूकता ला सकता है। लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए इनकी राष्ट्र को आवश्यकता है।
- कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि सामाजिक कार्यों के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लाखों गैर सरकारी संगठन देश के सामने आयी इस विपदा में आगे आयेंगे और इस संकट से निबटने में सक्रिय योगदान करके अपनी उपयोगिता साबित करने में पीछे नहीं रहेंगे।
- गैर-सरकारी संगठनों के लिये यह पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है, ताकि समाज में उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। साथ ही सरकार को प्रयास करना चाहिए कि किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ को हतोत्साहित करने के बजाय विचारों और संसाधनों के आदान प्रदान में मदद करें।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

प्र. COVID-19 महामारी के हानिकारक प्रभावों सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिये मजबूत नागरिक समाज संगठनों और नेटवर्क की आवश्यकता है। ऐसे में एनजीओ पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नए विनियमन के प्रभावों की चर्चा कीजिये ।

03 कोविड-19 के पश्चात प्रवासी मजदूरों का भविष्य

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासन पर बड़े पैमाने पर रोक लग गई है, लेकिन क्या मौजूदा संकट खत्म होते ही लोगों का आवागमन फिर शुरू हो जाएगा? यह सवाल सभी देशों को परेशान कर रहा है। जानकारों का मानना है कि सामान्य हालात बहाल होने की सम्भावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का टीका आने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि हो सकता है कि प्रवासियों को एक बहुत ही अलग तरह के श्रम बाजार का सामना करना पड़े।

परिचय

- जब कोविड-19 महामारी दुनिया भर में फैल गई तो बहुत से प्रवासियों को बिना सोचे-समझे अपने घरों को वापस भेज दिया गया, या उन्हें अपने दम पर गुजर-बसर करने के लिये छोड़ दिया गया। प्रवासी जन जिन क्षेत्रों में काम करते हैं और जिन खराब परिस्थितियों में बहुत से कम कुशल प्रवासी रहते और काम करते हैं, उससे वायरस फैलने का खतरा बढ़ा। इसके उदाहरण जर्मनी में माँस कारखानों के श्रमिकों और संयुक्त अरब अमीरात व सिंगापुर में निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों में देखे गए।
- रोजगार खत्म होने से अकसर प्रवासी कामगारों पर सबसे अधिक मार पड़ती है, क्योंकि वे अधिकतर अनौपचारिक सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ कामकाज छूटने या बीमार होने पर उन्हें सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। विशेषरूप से विकासशील देशों के प्रवासियों की यही स्थिति है और अस्थायी प्रवासियों जैसे अल्पकालीन श्रमिकों को अगर कहीं सामाजिक सुरक्षा मिलती भी है, तो वो भी ज्यादातर चोट लगने पर मुआवजा मिलने या कुछ स्वास्थ्य लाभों तक ही सीमित होती है।
- दुनिया के तीस से अधिक देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत से अधिक विदेशों से स्वदेशों को धन प्रेषण से आता है। विदेशों में रहने वाले या देशों के भीतर ही कामकाज करने वाले लगभग एक अरब प्रवासी श्रमिकों द्वारा घर भेजी गई यह धनराशि, कुल मिलाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या आधिकारिक विकास सहायता से भी अधिक है। वर्ष 2019 में यह धनराशि लगभग एक अरब डॉलर का तीन-चौथाई भाग था। विश्व बैंक ने इसमें वर्ष 2020 के दौरान 20% की गिरावट का अनुमान लगाया है। विकासशील देशों में परिवारों पर जो असर हो रहा है, उससे अर्थव्यवस्थाएँ गहराई से प्रभावित हो रही हैं।

प्रवासी श्रमिक और कोविड-19

- भीड़-भरे आश्रयस्थलों में रहने वाले कम-कुशल श्रमिक प्रवासी, महामारी से बेहद प्रभावित हुए हैं। 19 जून 2020 तक सिंगापुर में जिन कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई थी, उनमें 95 प्रतिशत से अधिक प्रवासी थे।
- दुनिया भर में 90 फीसदी लोग प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन प्रेषण पर निर्भर हैं। आर्थिक संकट ने इस धन के प्रवाह को विशेष रूप से प्रभावित किया है।
- प्रवासियों को रोजगार खोने और संक्रमित होने के जोखिम ज्यादा होने के कारण, बहुत से श्रमिक अपने मूल देश वापस लौट रहे हैं। दुनिया भर में सबसे अधिक प्रवासी भेजने वाले देश भारत ने 3 सितम्बर तक दूसरे देशों में फँसे अपने 1 करोड़ 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी के इन्तजाम किये थे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था ठीक होने पर प्रवासियों को रोजगार मिलने की संभावना

- महामारी की वजह से आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और बन्द सीमाएँ ज्यादातर रोजगारदाता कम्पनियों को प्रौद्योगिकी, स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर ले जाएँगी। प्रवासियों के लिये यह सम्भावित बुरी खबर है। दक्षिण पूर्व एशिया इसका एक उदाहरण है। इस क्षेत्र में ज्यादातर कपड़ा कारखानों में देश के ही भीतर के प्रवासी श्रमिक काम करते हैं, या फिर थाईलैण्ड का झींगा छीलने का उद्योग, जहाँ अधिकतर म्याँमार प्रवासी काम करते हैं। इन उद्योगों में मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम करने या खत्म करने की तकनीक पहले से मौजूद है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि इन 'नए' कामकाजों में से 90 प्रतिशत तक स्वचालन से खतरे में हैं। मतलब ये कि कुल मिलाकर देश में दस लाख रोजगार जो जीडीपी का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा हैं, स्वचालन से जोखिम का सामना कर रहे हैं।
- सबसे ज्यादा असर निर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल और आतिथ्य-सत्कार क्षेत्रों पर पड़ रहा है। खुदरा क्षेत्र आमतौर पर प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर करता है, लेकिन कोविड-19 महामारी से ऑनलाइन खरीदारी में भारी वृद्धि हुई है। आतिथ्य क्षेत्र में, स्वचालित प्रयोगों में रोबोट शामिल हैं जो जहाजों और हवाई अड्डों पर बारटेण्डिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं और होटलों में मेहमानों के कमरों तक भोजन पहुँचाते हैं। चीन में, बहुत से होटल ऐप या 'फेस रिकॉगनीशन' यानि चेहरे की पहचान के जरिये स्वचालित सुविधा दे रहे हैं। एलेक्सा-सक्षम स्पीकरों से होटल के कमरों में मेहमानों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा के सुझाव और कर्मचारियों के सम्पर्क में आए बिना टूथब्रश जैसी चीजों के लिये दरखवास्त करने की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- कृषि में जहरीली पौध को नियन्त्रित करने और सटीक कटाई के लिये, ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जीपीएस) तकनीक का उपयोग करते हुए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है। महामारी ने बिना चालकों की कारों की तकनीक को बढ़ावा दे दिया है, जो जल्द ही टैक्सी ड्राइविंग में नजर आएँगी। ये भी ऐसे ही एक काम हैं जिनमें बहुत से प्रवासी कार्यरत हैं।
- पिछले कुछ महीनों ने हमें दिखाया है कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ और बैठकें (जैसे डॉक्टरों से परामर्श, वीजा नवीनीकरण आदि)

ऑनलाइन की जा सकती हैं। टैलीमेडिसिन में उछाल आया है और जैसे-जैसे वीडियो प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, बुखार, हृदय गति व रक्तचाप भी वैबकैम के माध्यम से नापे जा सकते हैं। कई तरह की शिक्षा भी डिजिटल मंचों के माध्यम से दी जा रही है और इंटरनेट-आधारित शिक्षा सेवाओं में भारी वृद्धि हुई है।

- वर्चुअल रियलिटी में सुधार, संवर्धित वास्तविकता, होलोग्राम तकनीक और सहयोग उपकरणों से यह और भी आसान बन जाएगा। बहुत से प्रशासनिक कार्य भी दूरस्थ रूप से किये जा सकते हैं: इनमें रोजगार के अनेक नए अवसर हैं, जो प्रवासन की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और दूरदराज की कामकाजी महिलाओं के लिये बिना जाए ही काम करने व उनकी प्रतिभा के अनुरूप अवसरों का उपयोग करने के द्वार खुल सकते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिये खासतौर पर महत्वपूर्ण होगा, जहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने के खिलाफ सांस्कृतिक पूर्वाग्रह मौजूद हैं। इससे महिलाओं को काम खोजने में मदद करने के नए मंच मिलेंगे और दूरस्थ कार्य के जरिये चुपचाप वो रोजगार वाला कामकाज कर सकेंगी।

कोविड-19 महामारी से प्रवासियों के प्रति दृष्टिकोण

- कोविड-19 के कारण कुछ देशों में भेदभाव भी बढ़ा है, खासतौर पर एशियाई विरोधी भेदभाव में वृद्धि हुई है और कुछ लोकलुभावन राजनैतिक दलों ने अपने फायदे के लिये प्रवासियों को बलि का बकरा बना दिया है। इस प्रकार के हालत इटली, स्पेन, ग्रीस, फ्राँस और जर्मनी में देखे गयें हैं।
- हालांकि कई देशों में अनेक प्रवासी चिकित्सा में अग्रिम भूमिकाएं निभा रहे हैं या सुपरमार्केट में अलमारियाँ लगाने और अस्पतालों की सफाई जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संकट से निपटने के लिये उच्च-आय वाले देशों में विदेशी-प्रशिक्षित और विदेशों से आए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर प्रतिबन्धों में कुछ नरमी देखी है। शरणार्थी डॉक्टरों को जर्मनी की मान्यता न होने के बावजूद चिकित्सा मदद के लिये बुलाया गया, वहीं ब्रिटेन में चिकित्सकों को तेजी से मान्यता दी गई। कुछ अमेरिकी राज्यों में विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों को काम करने की अनुमति दी गई और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी प्रशिक्षित नर्सों के लिये काम करने के घण्टों का दायरा बढ़ा दिया गया।
- प्रवासियों के प्रति दृष्टिकोण लगातार सुधर रहा है। पिछले साल प्रकाशित 18 देशों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 1994 में 63 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक प्रवासियों को देश पर बोझ मानते थे, वहीं केवल 31 प्रतिशत मानते थे कि वो देश को मजबूत कर सकते हैं।
- दुनिया के आधे प्रवासियों की मेजबानी करने वाले शीर्ष प्रवासी गन्तव्य देशों के लोग मानते हैं कि अप्रवासी उनके देशों को मजबूत करते हैं। ब्रिटेन, फ्राँस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, स्वीडन और जर्मनी के अधिकांश लोग इस कथन से सहमत हैं कि प्रवासी उनके देश को मजबूत बनाते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में दुनिया भर में लगभग एक अरब लोग यानी हर सात में से एक व्यक्ति प्रवासियों मजदूरों या अन्य क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम से किसी ना किसी रूप में संबंधित हैं, इनमें या तो रकम भेजने वाले हैं या रकम हासिल करने वाले। विश्व भर में लगभग 80 करोड़ यानी हर नौ में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हे अपने परिवार के प्रवासी सदस्यों द्वारा भेजी गई रकम मिलती है। ये वो लोग होते हैं जो कामकाज व रोजगार की तलाश में अपना घर, परिवार, गाँव, शहर व देश छोड़कर जाते हैं।
- जब प्रवासी लोग अपने घर परिवारों को रकम भेजते हैं तो उससे 2030 के टिकाऊ विकास एजेंडा के लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलती है। प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम की मौजूदा रफ्तार अगर यूँ ही जारी रही तो साल 2015 से 2030 के बीच लगभग 8.5 ट्रिलियन यानी 85 खरब डॉलर के बराबर रकम भेजी जाएगी। इसमें से लगभग दो ट्रिलियन यानी करीब 20 खरब डॉलर की रकम या तो बचत के रूप में रखी जाएगी या निवेश की जाएगी। ये दोनों ही टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. वैश्विक अर्थव्यवस्था ठीक होने पर प्रवासियों को रोजगार मिलने की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

04 नये श्रमिक कानून पर उठता विवाद

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद के मानसून सत्र में बची हुई तीन श्रम संहिताएँ (Labour Codes) पारित की गयी हैं।

परिचय

- पिछले वर्ष संसद ने वेतन संहिता को पारित किया था। बाकी बची हुई तीन श्रम संहिताओं को अभी पारित किया गया है।
- ये तीनों श्रम संहिताएँ संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास थीं और सेलेक्ट कमेटी ने इन पर जरूरी सुझाव दिये थे, जिन्हें इन श्रम संहिताओं में जोड़कर संसद में पारित कर दिया गया है।
- भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में श्रम का विषय आता है, इसीलिए इससे सम्बन्धित संघ एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में पूर्व में जब-जब आर्थिक सुधारों की चर्चा होती थी तो श्रम सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन लाने की बात प्रमुखता से उठायी जाती थी।
- श्रम सम्बन्धी कानूनों में सुधार करने हेतु द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया।
- द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम से सम्बन्धित उद्योगों, व्यवसायों आदि में लगभग 100 राज्य कानूनों और 40 केन्द्रीय कानूनों को समेकित करने का सुझाव दिया था।
- केन्द्र सरकार ने 44 केन्द्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया है-
  - वेतन/मजदूरी संहिता (code on wages)
  - सामाजिक श्रम संहिता (Social Security Code)
  - औद्योगिक सम्बन्ध संहिता (Industrial Relations Code)
  - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता (Occupational Safety, Health and Working Condition Code)

वर्तमान प्रगति

- मजदूरी/वेतन संहिता को भारतीय संसद ने अगस्त, 2019 में पारित किया था तथा सामाजिक श्रम संहिता औद्योगिक सम्बन्ध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य स्थितियाँ संहिता को अभी संसद द्वारा पारित किया गया है।
- उपर्युक्त संहिताएँ भारत के पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को त्वरण प्रदान करने हेतु हैं।

वेतन/मजदूरी संहिता के प्रमुख प्रावधान

- वेतन/मजदूरी संहिता के अंतर्गत भारत के सभी कामगारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने का प्रावधान है। जबकि वर्तमान में लगभग 7% कामगार ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आते हैं।
- 2019 से पहले भारत में उपस्थित श्रम कानूनों में न्यूनतम मजदूरी की अलग-अलग परिभाषाएँ थीं, किन्तु वेतन/मजदूरी संहिता में न्यूनतम मजदूरी की सार्वभौमिक परिभाषा को स्वीकार किया गया है।
- मजदूरी संहिता में कामगारों के लिए कामकाजी घंटों के संदर्भ में अस्पष्टता को दूर करते हुए, इन्हें 8 घण्टे निर्धारित किया गया है। 8 घण्टे से अधिक कार्य या श्रम को ओवर टाइम के रूप में माना जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि एक कार्यदिवस में कुल कामकाजी, 12 घंटों से अधिक नहीं हो सकते हैं (ओवर टाइम और विश्राम अंतराल को शामिल करते हुए)।
- नियोक्ता (Employer) द्वारा कामगार को न्यूनतम मजदूरी न उपलब्ध कराने की स्थिति मेकं कामगार निकटतम मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कर सकता है।
- पत्रकारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी (या पारिश्रमिक) को एक अलग तकनीकी समिति निर्धारित करेगी।

सामाजिक श्रम संहिता

- सामाजिक श्रम संहिता के अंतर्गत 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को सम्मिलित किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, असंगठित व गिग इकोनॉमी में कार्य करने वाले कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, इस संहिता के प्रावधानों

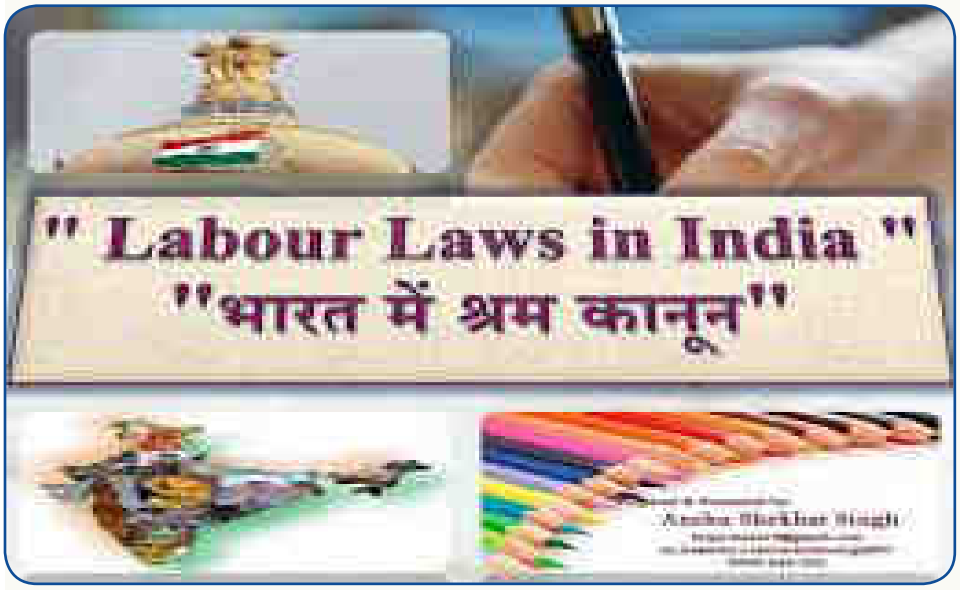

को कृषि श्रमिकों के लिए भी बढ़ा दिया गया है।

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता

- औद्योगिक सम्बन्ध संहिता में कम्पनियों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने कामगारों को काम पर रखने आैर उनकी छँटनी करने से सम्बन्धित प्रावधान को आसान किया गया है।
- पहले 100 से अधिक कामकारों वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इससे छूट थी)। औद्योगिक सम्बन्ध संहिता में अब इस सीमा को 300 कर दिया गया है।
- कामगारों को यदि हड़ताल पर जाना है तो इसके लिए उन्हें 60 दिन पहले नोटिस देनी होगी।
- यदि कोई मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है तो इस मामले से सम्बन्धित हड़ताल कामगारों द्वारा नहीं की जा सकती है।
- जिन कामगारों को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ने कौशल की कमी के कारण निकाला है, उनकी कुशलता बढ़ाने हेतु कौशल कोष के स्थापना का प्रावधान है, जिसमें नियोक्ता द्वारा योगदान एवं अन्य स्रोत से पैसा आयेगा।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता नियोक्ता द्वारा एक निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कामगारों के लिए वर्ष में एक बार निःशुल्क चिकित्सा जाँच इसके माध्यम से पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।

श्रम संहिताओं के लाभ

- चारों श्रम संहिताओं के माध्यम से देश के जटिल श्रम कानूनों का समकेन व सरलीकरण हुआ है।
- इसे भारत में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस बढ़ेगा।
- न्यूनतम मजदूरी की सार्वभौमिक परिभाषा से, इससे सम्बन्धित विवादों में कमी आयेगी।
- भारत में व्यावसायिक क्षेत्र में लालफीताशाही में कमी आयेगी, इससे आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी।

श्रम संहिताओं से सम्बन्धित चिंताएँ

- औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 300 से कम कामकार वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कामगारों/कर्मचारियों को छँटनी व प्रतिष्ठान को बंद करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह कदम श्रमिकों को शोषण बढ़ा सकता है (मुख्यतः छोटी व्यवसायिक इकाईयों में)।
- मजदूरी संहिता से मनरेगा को अलग किया गया है।
- कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की सम्भावनाओं को लगभग नगण्य कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
- कौशल कोष से सम्बन्धित अस्पष्ट प्रावधान हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से धन जुटाया जायेगा।
- संहिता में यह नहीं बताया गया कि अन्य स्रोत क्या होंगे?

निष्कर्ष

- भारत में जरूरतों के अनुसार श्रम कानून होना चाहिए, जिससे की सभी को न सिर्फ रोजगार मिल सके बल्कि उसे रोजगार की सुरक्षा भी हो। उसके अलावा सरकार को श्रम कानूनों का पालन कठोरता से करना चाहिए जिससे श्रम के क्षेत्र में भेदभाव न हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में भारतीय संसद ने श्रम संहिताओं को पारित किया है। इनसे सम्बन्धित लाभ व चुनौतियों की चर्चा करें।

05 संयुक्त राष्ट्र में पुनर्सुधार की आवश्यकता पर भारतीय दृष्टिकोण

संदर्भ

- वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के 75वर्ष पूरे किए लेकिन कोविड महामारी के कारण कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया। यहां तक सितम्बर में सम्पन्न हुई। महासभा की वार्षिक बैठक का आयोजन भी वर्चुअल रूप में किया गया जिसमें राष्ट्रपक्षों के रिकॉर्ड किये गये वीडियों संदेश चलाये गये।
- हालाँकि महासभा के आयोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कोविड-19 महामारी ने संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया है। वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर देश द्वितीय विश्व युद्ध के खंडहरों से उपजी इस व्यवस्था में परिवर्तन की माँग करते रहे हैं, ताकि इसकी भूमिका को तर्कसंगत व प्रभावी बनाया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ

- शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने-सामने थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कामकाज बाधित होता रहा।
- सोवियत रूस विघटन के बाद 1990 के दशक में वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ अमेरिका का ही एजेंडा प्रभावी रहा।
- 21वीं शताब्दी के पहले दशक से एक बार फिर सुरक्षा में तकरार देखने को मिला जब एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर रूस एवं चीन एक साथ आये।
- वर्तमान समय में एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर रूस एवं चीन के गठजोड़ के बीच संघर्षपूर्ण रूप से विकसित हो गया है।
- कोई वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। जिससे मुद्दे को लेकर जटिलता और अधिक बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए-अमेरिका ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों समेत अन्य शक्तियाँ अमेरिकी नेतृत्व का पालन करने को तैयार नहीं है।
- यहाँ तक की वैश्विक मुद्दों को लेकर अमेरिका के अंदर भी मतभेद है।
- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भी संयुक्त राष्ट्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र वर्तमान समय की वैश्विक संकट के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया करने में असफल रहा।
- सुरक्षा परिषद में चीन ने अपने वीटो का प्रयोग करके कोरोना वायरस उत्पत्ति को लेकर होने वाली गंभीर चर्चा पर ही रोक लगा दी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिशा में कुछ कार्य किया है। लेकिन अमेरिका ने इसे अपर्याप्त बताकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही हटने की बात कही है।
- उपरोक्त सभी मुद्दें मौजूदा बहुपक्षवाद के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन्हें सुलझा कर आज की आवश्यकता के अनुरूप एक नये बहुपक्षवाद वाली व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार के क्षेत्र

सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अनेक सदस्यों द्वारा 15 सदस्यी सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक बनाने की बात कही है।
- यह माँग लंबे समय से की जा रही है। विशेषकर जी-4 देशों (जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील) के द्वारा जो सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की वकालत करते हैं।
- लेकिन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्तियों का अन्य के साथ साझा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
- स्थायी सदस्य द्वारा अपनी इस शक्तियों का प्रयोग अकसर अपने भूराजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जाता रहा है।

महासभा

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव में बाध्यकारी नहीं होते हैं जो महासभा के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। महासभा में 193 सदस्य देशों के द्वारा पारित प्रस्ताव भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही निर्भर करते हैं। जिस पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

- हालांकि महासभा को मजबूत करने के लिए बड़े शक्तिशाली देश महासभा को ऐसे अधिकार देने का विरोध करेंगें जो सुरक्षा परिषद के अधिकारों को चुनौती देते हों। इसलिए इस बात की संभावना काफी कम लगती है कि महासभा में किसी प्रकार का सुधार हो सकेगा।

UNSC सुधार पर भारत का पक्ष

- भारत सुरक्षा परिषद् के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी चाहता है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की मजबूती और सख्ती की जरूरत है। भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने का मुद्दा प्रमुख है क्यूंकि अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये पहली शर्त है।
- भारत की चिंता सुरक्षा परिषद् की संरचना को लेकर है। संयुक्त राष्ट्रसभा की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार होने से सुरक्षा परिषद् ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। सुरक्षा परिषद् के काम काज की समीक्षा विश्व बिरादरी के कामों पर निर्भर करती है इसलिए सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की जरूरत है। साथ ही और भी विकासशील देशों को शामिल किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा परिषद में भारत को P-5 देशों (अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम) में चीन को छोड़कर लगभग सभी देशों का समर्थन है। कुछ दिन पहले आतांकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का अहम रोल रहा।
- हालांकि ये देश भारत का समर्थन जरूर करते हैं लेकिन P-5 के कई देश सुरक्षा परिषद् में किसी बदलाव को लेकर राजी नहीं हैं। भारत के साथ रहने वाले अमेरिका और चीन का रुख सुरक्षा परिषद् में भारत को शामिल किए जाने को लेकर बदल जाता है। ये देश नहीं चाहते हैं कि स्थायी या अस्थायी सदस्यों की संख्या में इजाफा हो।

आगे की राह

- भारत को निकट भविष्य में यूएनएससी के विस्तार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। भारत को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि UNSC में जल्द सुधार होने की संभावना नहीं है।
- भारत को यह समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में UNSC अलावा भी बहुत संभावनाएं हैं और उनके दोहन के लिए भारत को स्वयं का एक बहुपक्षीय एजेंडा विकसित करना चाहिए, जैसा कि भारत ने अतीत में किया भी है। (वि-उपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण से लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम तक)
- भारत को वर्तमान आक्रामक चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बहुपक्षवाद की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले वैश्विक नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलावों का दौर चल रहा है, अतः भारत को स्वयं के एजेंडे के अनुरूप इन नियमों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
- इसके अलावा यदि भारत अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का विस्तार करने की उम्मीद करता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपनी वर्तमान हिस्सेदारी जोकि केवल 0.7 प्रतिशत है, को बढ़ाना होगा। चीन, जापान और अमेरिका की हिस्सेदारी क्रमशः 8, 10 और 22 प्रतिशत पर हैं। अतः भारत अपना योगदान कम से कम एक प्रतिशत तक बढ़ाकर अपने सहयोगियों को समझा सकता है कि भारत अधिक जोरदार बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कार्य पद्धति को देखते हुए भारत ने उसमें व्यापक सुधार की संभावनाओं पर बल दिया है। भारत का यह कदम कितना उचित है? चर्चा करें।

06 जेनेटिक इंजीनियरिंग और उससे संबंधित चिंताएं

चर्चा का कारण

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि चीन द्वारा कोविड-19 या तो जानबूझकर जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से बनाया गया था या फिर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में एक प्रयोगशाला में इस वायरस का जन्म हुआ। हालांकि नेचर मेडिसिन में एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि Covid-19 के जेनेटिक इंजीनियरिंग की संभावना न के बराबर है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अगले महामारी का कारण बन सकती है और भारत एवं विश्व को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस लेख में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ एवं खतरों के बारे में चर्चा की गई है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है

- जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक अत्याधुनिक शाखा है, जिसमें सजीव प्राणियों के डीएनए कोड में मौजूद जीन को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए परिवर्तित किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक विशिष्ट जीन को चुना जा सकता है और प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य जीवों के विषम रोगों का पता लगाना एवं रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक कार्यात्मक जीन के साथ दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करके आनुवंशिक विकार भी तय किये जा सकते हैं।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष जीव के गुणों को प्राप्त करने के लिए जीनोम का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके डी. एन. ए. में उपस्थित होता है, इसी जीनोम में सारे गुण सुरक्षित रहते हैं। फिर जीनोम को प्राप्तकर्ता की कोशिकाओं में प्रतिस्थापित किया जाता है, और परिणाम के लिए थोड़ा समय अवश्य लगता है, जिसके बाद वांछित परिणाम स्पष्ट हो जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग

- **कृषि:** जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही रोग प्रतिरोधक फसलें और सूखे में पैदा हो सकने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके जरिए पेड़-पौधे और जानवरों में ऐसे गुण विकसित किए जाते हैं, जिसकी मदद से इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है।
- **औषधि उद्योग एवं जीन थेरेपी:** जेनेटिक इंजीनियरिंग ने दवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त किया है। वर्तमान में पौधों और सूक्ष्मजीव जो कुछ दवाओं के आधार हैं, को कम लागत पर बेहतर टीके, अधिक प्रभावी उपचार, एंजाइम या हार्मोन बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जा रहा है।
- जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो स्वस्थ जीन को उन लोगों में सीधे सम्मिलित करने की अनुमति देती है, जिन्हें आनुवांशिक विकृतियों के कारण होने वाली बीमारियाँ होती हैं, यह चिकित्सा का वर्तमान में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का सबसे अधिक आशाजनक और क्रांतिकारी योगदान है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी, हीमोफिलिया, कैंसर या अल्जाइमर, कुछ ऐसे मानव रोग हैं, जिन्हें उनके सूक्ष्म-मूल से प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा रहा है।
- **खाद्य उद्योग:** दुनिया के सुपरमार्केट में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों से विकसित उत्पाद भरे हुए हैं। खाद्य उद्योग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने और आनुवांशिक शोध के जरिए नए उत्पाद खोजने का तरीका खोजा है।
- **फोरेंसिक जांच:** जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के माध्यम से रक्त, बाल, लार या वीर्य के नमूनों से अपराधों या पीड़ितों के संदिग्धों की पहचान की जा सकती है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी चिंताएँ

- गुणसूत्रों या जीन में हेर-फेर करके कैंसर और कुछ दूसरी लाइलाज बीमारियों से निजात पाने का रास्ता तलाशने की वर्तमान प्रक्रिया निकट भविष्य में संसार के कई देशों को और फिर समूचे संसार को दशक के भीतर ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है। हालिया शोध से पता चलता है कि इस दिशा में हो रही सकारात्मक प्रगति के साथ साथ कुछ नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं।
- किसी व्यक्ति के डीएनए को बदलने के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। उदाहरण के लिए, अनिच्छित बदलाव कोशिकाओं को कैंसरयुक्त बना सकते

हैं। यदि मरीज का शरीर नये जीन को ना स्वीकारे तो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं जो अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं के जीन्स संपादन से जुड़े हैं। यह आनुवंशिक बीमारियों से लड़ने में काम आ सकते हैं, लेकिन इसमें आंखों के रंग या लंबाई जैसे अन्य लक्षणों के बदल जाने की संभावना रहती है। यही कारण है कि यूरोप जैसी जगहों पर पौधों, जानवरों और इंसानों का जीन संपादन बहुत ही ज्यादा नियंत्रित है। अमरीका में कुछ क्लीनिकल परीक्षणों के लिए नियमों में थोड़ी ढ़ील दी गई है। चीन फिलहाल जीन संपादन के क्षेत्र में अग्रणी है।

- क्रिस्पर (Clustered Regualarly Interspaced Short Palindromic Repeats-CRISPR) जीनोम के बदलाव के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। इस तकनीक से शोधकर्ता जीव के जीनोम (डीएनए का पूरा विवरण) को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। इससे वह जीनोम को बदलकर जीव को बुद्धिमान, शक्तिशाली और कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इस तकनीक के जरिए वे फसलों को और बेहतर और कई तरह के जीवों को ज्यादा शक्तिशाली और हिंसक बना सकते हैं। इस तकनीक के जहां फायदे हैं वहीं कई लोग इसे प्रकृति मे छेडछाड़ की तरह देखते हैं। CRISPR एकमात्र आनुवंशिक तकनीक नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता है। एक व्यापक क्षेत्र सिंथेटिक बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिये उपकरण व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।
- दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग के प्रयोग पर चिंता जताते हुए इसे विज्ञान और नैतिकता के खिलाफ बताया है क्योंकि इससे भविष्य में 'डिजाइनर बेबी' के जन्म की अवधारणा को और बल मिलेगा।
- अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का दावा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के जरिये मच्छरों की एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है, जिनसे पैदा होने वाली सभी मच्छर बांझ होंगी। यानी इस तरीके से इस धरती से सभी मच्छरों का खात्मा किया जा सकेगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके खर-पतवारों से मुक्ति पाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है, यह तकनीक हमारे पूरे पर्यावरण को इस तरह बदल सकती है कि फिर वापसी शायद संभव न हो।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फूड के जरिए फसलों के गुणों में बदलाव किया जाता है। मसलन, अगर राजस्थान में धान की खेती करनी है और पानी कम है तो ऐसे बीज तैयार किए जाए जो कम पानी में ही लहलहाती फसल उगा सकें। अगर सब्जियों को कीड़ों से बचाना है तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। पहली नजर में यह इंजीनियरिंग किसानों के लिए वरदान साबित होती लगती है और है भी। वर्षों पहले जब देश में खाद्यान की कमी पड़ी तो इसी इंजीनियरिंग के जरिए बंपर पैदावार को संभव बनाया गया, लेकिन बहुत जल्द इसके दुष्प्रभाव सामने आ गए, जो चौंकाने वाले थे।

आगे की राह

- डॉली को एक वयस्क कोशिका से बनाया गया था, यह एक क्लोन था, अर्थात, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक जीवित प्राणी को प्रयोगशाला में पुनः पेश किया था, दूसरे जीवित व्यक्ति के डीएनए में हेरफेर किया था। तब से, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत तेजी से विकसित हुई है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आने वाले वक्त में मवेशी पालन व पौध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग से जानवरों व पौधों की नई प्रजातियों का प्रजनन व विकास किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग से भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में भारी क्रांति आने की संभावना है। जीन संपादन की संभावनाएं हकीकत में कितना बदल पाती हैं, यह आने वाले वर्षों के नियामक वातावरण पर निर्भर करेगा। ऐसी तकनीक के बारे में फैसले इतने अहम हैं कि उन्हें सिर्फ वैज्ञानिकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसका असर व्यापक होगा, इसलिए समाज की चिंताओं को शामिल करना जरूरी है। इस तकनीक पर सार्वजनिक बहस का समय आ गया है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. जेनेटिक इंजीनियरिंग का संक्षिप्त परिचय देते हुए इससे जुड़े नैतिक पहलुओं पर चर्चा करें।

07 ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ और भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार, निर्धारित अपने लक्ष्य की ओर तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालाँकि भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा आयोजित सेमिनार में यह बात कही। वह टेरी के सेमिनार में न्यूयॉर्क से वर्चुअली रूप से शामिल होते हुए।
- एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत यदि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों पर अपने स्थानांतरण की गति को तेज कर देता है, तो वह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर पाने की दिशा में सही मायनों में ग्लोबल सुपरपावर बन सकता है।
- दरअसल भारत के लिए एंटोनियो गुटेरेस के संदेश का केंद्र बिंदु यही था कि देश में बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली इकाईयों के विकास को रोककर, इसके स्थान पर नवीकरणीय उर्जा के स्त्रोतों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से लड़ने में मदद मिले और साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी लाभ उठाया जा सके।
- उन्होंने यह भी कहा कि मैं 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' के रूप में अंर्तराष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे लाने में भारत के फैसले की प्रशंसा करता हूं और मैं एक 'वर्ल्ड सोलर बैंक' के लिए भी भारत की योजनाओं की तारीफ करता हूं, जिसके तहत आने वाले दशकों के दौरान सौर परियोजनाओं में लगभग सौ करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा।
- गुटेरेस ने वर्ष 2015 में 175 गीगावाट्स से 2030 तक 500 गीगावाट्स तक नवीकरणीय उर्जा की क्षमता के अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के फैसले का भी स्वागत किया।
- एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 45% तक कम करना चाहिए। गौरतलब है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 33% तक कम करने का लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- एंटोनियो गुटेरेस ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा आयोजित सेमिनार के पहले भी इसी तरीके की बात कही थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO) के द्वारा जलवायु परिवर्तन (Climate change) पर प्रकाशित रिपोर्ट के अवसर पर एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन दोनों से आह्वान किया था कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 45% तक कम करना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- जलवायु परिवर्तन की दिशा में बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सभी देशों के मध्य आपस में सहमति बननी प्रारंभ हुई। पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में स्वीडन के शहर स्टाकहोम में विश्व का पहला अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 119 देशों ने 'एक धरती' के सिद्धान्त को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को प्रारम्भ किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'स्टाकहोम घोषणा' प्रस्तुत किया। इसी सम्मेलन में सम्पूर्ण विश्व में 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्टाकहोम सम्मेलन (1972) की बीसवीं वर्षगांठ पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में किया गया। यह शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन' के रूप में जाना जाता है।
- रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी जिसे युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) कहा जाता है। इसी सम्मेलन में 'युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज को सभी देशों के समक्ष हस्ताक्षर हेतु रखा गया। रियो सम्मेलन में UNFCCC के साथ इसकी बहनों के रूप में दो और कन्वेंशन की परिकल्पना की गई जिसमें एक था, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और दूसरा था मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन।

यूएनएफसीसीसी और इसकी सीओपी (COP)

- रियो शिखर सम्मेलन में प्रारंभ हुए जलवायु

परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) 21 मार्च, 1994 को अस्तित्व में आया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को पार्टियों के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समन्वित दृष्टिकोण एवं कार्रवाई विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज (COP) के तत्वाधान में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।

- यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) की पहली सीओपी (COP) 1995 में जर्मनी के शहर बर्लिन में आयोजित हुई थी। इस सीओपी में सदस्य देशों के मध्य जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सहमति बनी, उसने क्योटो प्रोटोकॉल की पृष्ठभूमि तैयार की।
- 11 दिसंबर, 1997 को कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज का तृतीय सम्मेलन (COP-3), जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की दिशा में प्रथम वैश्विक संधि है।

पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता

- दिसंबर, 2015 में पेरिस में आयोजित हुए सीओपी-21 सम्मेलन में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया। 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन और धारणीय विकास की दिशा में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- पहली बार पेरिस समझौता के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की दिशा में सभी राष्ट्रों को उनकी ऐतिहासिक, वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के आधार पर एक साथ लाया जाता है।
- पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का प्रमुख लक्ष्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-Industrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके।
- इसी समझौते के तहत यह भी कहा गया है कि यदि संभव हो सके तो आगे चलकर इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-Industrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस के बजाय 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य रखा जाये।
- पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता करेंगे।

चुनौतियाँ

- वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक समुदाय पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से अभी बहुत पीछे है, जिसके अनुसार औसत वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि करनी है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि भयावह पर्यावरणीय दुष्चक्र का उद्‌भव कर सकती है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 तक, वैश्विक औसत तापमान सौ साल पहले की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जी-20 देशों से भी यह आह्वान किया है कि वर्ष 2030 तक उन्हें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 45% तक कम करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि विकासशील और विकसित देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समान कटौती की उम्मीद रखना बेमानी है। क्योंकि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों से अधिक मात्रा में उत्सर्जन किया है। विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति (Industrial revolution) बहुत पहले घटित हो चुकी है जबकि विकासशील देशों में यह अभी अपने प्रारंभिक चरण में है।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें यह बताया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों ने अपने वार्षिक उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन) को वर्ष 1990 से 2017 के बीच कितना कम किया है। यूएनएफसीसीसी की इस रिपोर्ट से यह निकालकर सामने आया कि विकसित देशों ने वर्ष 1990 से 2017 के दरम्यान अपने ग्रीन हाउस गैसों के वार्षिक उत्सर्जन में मात्र 1.3 प्रतिशत की कटौती की है, जो चिंता का विषय है।
- कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) की समय-सीमा 2050 रखी गई है, जो काफी लंबी है। इसे और पहले प्राप्त करने पर बल देना चाहिए।
- कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि पेरिस समझौते के तहत सभी देश कार्बन कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन करें तो भी सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तय लक्ष्यों के तहत कटौती के संबंध में जवाबदेही तय करने व जाँच करने के लिये अभी कोई वैश्विक स्तर की नियामक संस्था का अभाव है।
- वर्ष 2017 में अमेरिका पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से अलग हो गया था । जबकि चीन (27%) के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (15%) विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। यदि इन बड़े देशों के द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं की जाती है तो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, अतः इससे निपटने हेतु सभी देशों को एकसाथ आने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. वर्तमान में दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी व्यापक चुनौती का सामान कर रही है। जलवायु परिवर्तन से संबन्धित प्रमुख वैश्विक प्रयासों की चर्चा करने के साथ-साथ यह भी बताएं कि इनके लक्ष्यों को पाने में किस प्रकार की समस्याएँ हैं ?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) की नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट जून 2017 और जुलाई 2018 के बीच आयोजित नेशनल सैंपल सर्वे के 75वें दौर में शिक्षा से जुड़े व्यय पर परिवारों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

2. महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत में प्रति पांच छात्रों में से एक छात्र अपनी स्कूली शिक्षा को निजी कोचिंग के साथ पूरी करता है, जिसमें माध्यमिक स्कूल स्तर पर तथा कक्षा 9 और 10 में लगभग प्रति तीन छात्रों में से एक छात्र निजी कोचिंग लेता है।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की कुल लागत का लगभग 20% निजी कोचिंग की फीस में व्यय होता है।
- अनुसूचित जनजाति समुदायों के मात्र 13.7% ग्रामीण लड़के और लड़कियां निजी कोचिंग लेते हैं, इनकी तुलना में उच्च जाति के शहरी छात्रों में 52% से अधिक निजी कोचिंग लेते हैं।
- पूर्वी भारत के कुछ राज्य देश के बाकी हिस्सों की तुलना में निजी कोचिंग पर अधिक व्यय करते हैं।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

- भारत सरकार ने 01 जून, 2005 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना की है। एनएससी की स्थापना रंगराजन आयोग, जिसमें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की 2001 में समीक्षा की थी, की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद की गई है। एनएससी की स्थापना सांख्यिकीय मामलों में नीतियां तैयार करने, प्राथमिकताएं और मानक तय करने के उद्देश्य से 12 जुलाई, 2006 से की गई है। एनएससी के अध्यक्ष के अलावा, चार सदस्य हैं। ये सभी सदस्य विनिर्दिष्ट सांख्यिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हैं।

4. NSSO का CSO में विलय

- दिनांक 23 मई, 2019 के आदेशानुसार, NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) के गठन को मंजूरी दे दी।
- मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने तथा मंत्रालय के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बिठाने हेतु भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) सांख्यिकीय कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं, मसलन किस सर्वेक्षण को कब, कहाँ और कैसे किया जाना चाहिये, की देखरेख करता है।

02 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन' योजना शुरू की है। इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों जैसे कि सैमसंग, पेगाट्रॉन, फ्लेक्स और फॉक्सकॉन आदि से चल रही वार्ता अपने अंतिम चरण में है।

2. योजना के बारे में

- भारत, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में, अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है।
- इस क्षेत्र में, पर्याप्त इंफ्रॉस्ट्रक्चर की कमी, घरेलू आपूर्ति शृंखला और लाजिस्टिक, उच्च वित्तीय लागत तथा ऊर्जा की अपर्याप्त आपूर्ति के चलते लगभग 8.5 से 11 फीसदी का नुकसान होता है।
- इसके अलावा, सीमित डिजाइन क्षमताएं, उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर अपेक्षाकृत कम व्यय और कौशल विकास में कमी के कारण भी इस उद्योग को काफी नुकसान होता है।
- इसी मकसद से सरकार ने बीते 1 अप्रैल 2020 को 'उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन' (PLI) योजना को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के एक भाग के रूप में भी शुरू किया।
- इस योजना के अंतर्गत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और पाट्र्स विनिर्माण के लिए व्यापक निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 5 साल की अवधि के लिये 4-6 फीसदी तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष के मुताबिक तय की जाती है।)
- इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के तौर पर माना जाएगा।
- योजना का लाभ उठाने हेतु कंपनियों को आवेदन करने के लिए शुरुआत में 4 महीने का वक्त दिया गया है, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
- इस योजना का कार्यान्वयन एक नोडल एजेंसी के जरिए किया जाएगा।
- यह नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Prloject Management Agency- PMA) के तौर पर काम करेगी।

4. पात्रता

- योजना के मुताबिक, 15,000 रुपये या उससे ज्यादा दाम के मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित सभी मोबाइल फोन की बिक्री पर 6 फीसदी तक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- इस योजना के तहत भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन बनाने के लिए अगले चार सालों में 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

5. निवेश किस तरह का होगा?

- योजना के अंतर्गत सभी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां या भारत में रजिस्टर्ड इकाईयां आवेदन की पात्र होंगी।
- ये कंपनियां प्रोत्साहन राशि के लिए किसी नई इकाई का निर्माण कर सकती हैं या फिर, भारत में तमाम स्थानों पर कार्यरत अपनी मौजूदा इकाइयों के विस्तार के आधार पर ये कंपनियां प्रोत्साहन राशि की मांग कर सकती हैं।
- हालांकि, कंपनियों द्वारा किसी परियोजना के लिए जमीन और इमारतों पर किए गए निवेश को प्रोत्साहन राशि के लिए निवेश के रूप में नहीं माना जायेगा।

03 नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया–2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (2020) को जारी किया है, जिसमें स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों तथा सैन्य क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान दिया गया है।

2. नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 के प्रमुख बिंदु

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)2020, उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था।
- 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)और मेड इन इंडिया जैसे नए विचार शामिल है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पहली बार रक्षा उपकरण लीज पर लेने की बात कही गई है।
- इसके साथ ही इस रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा कलपुर्जों के स्वदेश में निर्माण की बात कही गई है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में खरीद के लिए भारत में निर्मित एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है जिसके तहत कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी शाखा खोल कर अपने रक्षा सामान का निर्माण कर सकती है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी को समान अवसरों के सिद्धांतों पर जोर देता है।

3. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का उद्देश्य

- यह रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गयी है।
- इसके अलावा, इस प्रक्रिया का लक्ष्य स्वदेशी डिजाइन और रक्षा हथियारों के विनिर्माण को समयबद्ध तरीके से बढ़ावा देना है।

4. आत्म-निर्भर भारत अभियान में स्थापित विशिष्ट सुधार निम्नानुसार शामिल किए गए हैं:

- आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों / मंचों की एक सूची को अधिसूचित करना: डीएपी में प्रासंगिक संयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सूची में वर्णित किसी उपकरण की खरीद आयात से पूर्व अधिसूचित समय सीमा के बाद नहीं की गई है।
- **आयातित पुर्जो का स्वदेशीकरण:**
    - आरएफआई चरण कलपुर्जों / छोटे उपकरणों के स्तर पर निर्माण और स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए संभावित विदेशी विक्रेताओं की इच्छा का पता लगाएगा।
    - नई श्रेणी में भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों के पूरे / हिस्से या कलपुर्जों / असेंबली / सब-असेंबली / रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा का निर्माण शामिल है।
    - यह आईजीए के माध्यम से सह-उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने में सक्षम बनाता है जिससे आयात प्रतिस्थापन हासिल होगा और जीवन चक्र लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
    - इसमें स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत और प्रणाली संवर्द्धन को अनुकूलित करने के लिए क्रेता का अधिकार शामिल है।

5. रक्षा विनिर्माण में एफडीआई:

- नई एफडीआई नीति की घोषणा के साथ, नई श्रेणी 'खरीदें (वैश्विक-भारत में निर्माण)' जैसे उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करते हुए विदेशी ओईएम को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण / रख-रखाव संस्थाओं' की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेना: आत्म-निर्भर भारत अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक हिस्से के रूप में, अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक पीएमयू की स्थापना अनिवार्य है।

04 भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम, 2013

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद ए. बोबडे ने संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक भूमि अधिग्रहण निर्णय की अभ्रांतता पर सवाल उठाया है, जिसका नेतृत्व उनके पूर्व सहयोगी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने किया था।
- ध्यातव्य है कि इस वर्ष मार्च में, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में भूमि अधिग्रहण मुआवजा निर्धारण की धारा 24 पर फरवरी 2018 के फैसले की पुनः पुष्टि की थी।

2. अधिनियम का परिचय

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में भी उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013) भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। साथ ही भारत में प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास के लिए प्रक्रिया और नियमों का पालन करता है।
- इस अधिनियम में उन लोगों को उचित मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है जिनकी भूमिकारखानों या इमारतों, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई है। यह भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास का आश्वासन देती है।
- यह अधिनियम सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा संचालित भारत के बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण अभियान के एक भाग के रूप में भूमि अधिग्रहण के लिए नियम स्थापित करता है। इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की जगह जो लगभग 120 साल पुराना ब्रिटिश शासन का कानून था।

3. अधिनियम का लक्ष्य और उद्देश्य

- अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य निम्न हैं-
  - भारत के संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के संस्थानों के साथ परामर्श करने के लिए, औद्योगिकीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागितापूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया, आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास और भूमि के मालिक और अन्य प्रभावित परिवार से सद्भाव कम से कम अशांति के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
  - प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करना, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं।
  - ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बन जाते हैं जिससे उनके अधिग्रहण के बाद के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

4. अधिनियम की प्रयोज्यता

- **अधिनियम तब लागू होता है जब:**
  - सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भूमि सहित अपने स्वयं के उपयोग, पकड़ और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।
  - सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के उपयोग के लिए इसे स्थानांतरित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ भूमि का अधिग्रहण करती है। LARR 2011 के उद्देश्य में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी परियोजनाएँ शामिल हैं, लेकिन यह राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि को बाहर करती है।
  - सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी कंपनियों द्वारा तत्काल और घोषित उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।

05 महाराष्ट्र द्वारा वन अधिकार अधिनियम में संशोधन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act & FRA), 2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके जरिये आदिवासी और अन्य पारम्परिक रूप से वन-आवास वाले परिवारों को आस पड़ोस के वन क्षेत्रों में घर बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. पृष्ठभूमि

- राज्यपाल द्वारा यह अधिसूचना संविधान की अनुसूची 5 के अनुच्छेद 5 के उपबिंदु (1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।
- सरकार के इस फैसले से आदिवासी और अन्य पारम्परिक रूप से वन आवास वाले परिवार को एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही वन-निवासी परिवारों को अपने मूल गाँवों से बाहर प्रवास करने से रोकने और उनके पड़ोस की वन भूमि में ग्राम क्षेत्रों का विस्तार करके उन्हें आवास देने में भी मदद मिलेगी।

3. क्या है वनाधिकार अधिनियम 2006?

- भारत में, आजादी के पहले के शोषणकारी अंग्रेजी कानून के कारण आदिवासियों और जंगलवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया था। दशकों तक उन्हें जमीन और अन्य संसाधनों से वंचित रखा गया।
- इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2006 में वनाधिकार कानून पारित किया। यह कानून पारंपरिक जंगलवासियों और समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। इसका आधिकारिक नाम-अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।

4. इस कानून के जरिये कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं?

- मालिकाना हक- आदिवासियों या वनवासियों को उस जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं या लगभग तीन पीढ़ियों या 75 साल से रह रहे हैं। ये पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक दिया जा सकता है। स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जो वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसका मतलब है कि कोई नई भूमि नहीं प्रदान की जाएगी।
- वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार-लघु वन उपज, चारागाह, और आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक होगा।
- राहत और विकास से जुड़े हक - वन्य सुरक्षा को देखते हुए अवैध निकासी या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार होगा।
- वन प्रबंधन का अधिकार-जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा का हक दिया गया है।

5. संविधान की पांचवीं अनुसूची

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्र' को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अनुसार- 'ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो'।
- भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 (2) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, और किसी भी राज्य के संबंध में उन क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करने के लिए नए आदेश दे सकते हैं, जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है।

6. अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड

- पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं:
  - जनजातीय आबादी की प्रधानता,
  - क्षेत्र की सघनता और उचित आकार,
  - एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक, और
  - पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन

06 एफएसएसएआई का डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए दिशा- निर्देश

1. चर्चा का कारण

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आम नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक नियम बनाया हैं, कि एक अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की बनने की तारीख और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। साथ ही डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए यह जानकारी डिब्बे के बाहर लिखनी होगी।

2. आवश्यकता क्यों

- एफएसएसएआइ ने यह नियम बासी और पुरानी मिठाइयां बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद लिया है। पहले यह नियम एक जून से लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे तीन महीना बढ़ा दिया गया था।

3. प्रमुख बिन्दु

- एफएसएसएआइ ने सभी फूड कमिश्नरों को पत्र लिखकर कहा है कि सार्वजनिक हित और फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि बाजारों मे या खुले में बिकने वाली मिठाई की एक्सपायरी डेट को 1 अक्टूबर, 2020 से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- मिठाई बनाने वाले दुकानदार स्वेच्छा से उसके बनाए जाने की तारीख को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही एफएसएसएआइ ने अपनी website में मिठाइयों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा और उसके मानक तय किए हैं।
- इसके अलावा नागरिकों को बासी खाना या मिठाई दिए जाने या उसकी समय सीमा खत्म होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं।

4. चुनौतियाँ

- बेस्ट बिफोर डेट मिठाइयों की थालियों पर लिखना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मिठाइयों का एक बड़ा रेंज होता है जिस पर बार-बार तारीख बदलना मुश्किल होगा।

5. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गयी है। यह स्वायत्त संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की भी जाँच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यह राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का भी कार्य करता है।

6. आगे की राह

- गौरतलब है कि पहले दुकानदार द्वारा खराब मिठाई दे देने पर उपभोक्ता कहीं साबित नहीं कर पाते थे कि उन्होंने खराब मिठाई खरीदी है। इस वजह से लोग मन मसोस कर रह जाते थे, साथ ही उनका पैसा भी बर्बाद होता था और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। अब मिठाइयों के सामने एक्सपायरी डेट लिखे होने से वे सोच-समझ कर ही खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे।

07 हाइड्रोजन से समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस

1. चर्चा का कारण

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एच-सीएनजी (हाइड्रोजन का 18% मिश्रण) के उपयोग की अनुमति दे दी है।
- एच-सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए मंत्रालय द्वारा पहले ही अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (एच-सीएनजी) के विनिर्देशों (आईएस 17314: 2019) को ईंधन के रूप में विकसित किया है। कुछ सीएनजी-इंजन का 'स्वच्छ' सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी का उपयोग करके उत्सर्जन में कमी को समझने के लिए कुछ परीक्षण किया गया था।

3. हाइड्रो सीएनजी क्या है?

- एचसीएनजी, सीएनजी का ही एक मिश्रण है। इसमें 18 प्रतिशत हाइड्रोजन होती है। ये मिश्रण हैवी ड्यूटी सीएनजी व्हीकल में इंजन को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हुए काम में लिया जा सकता है।
- शुरूआती टेस्ट से पता चला है कि एचसीएनजी का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), मीथेन और टोटल हाइड्रोकार्बन (टीएचसी) के उत्सर्जन को कम कर सकता है। ये फ्यूल की खपत के मामले में सीएनजी से भी कई गुना बेहतर है।
- एचसीएनजी का एक और फायदा यह है कि इसे आसानी से सीएनजी पाइपलाइनों और बस डिपो में शामिल किया जा सकता है।

4. हाइड्रो सीएनजी के लाभ

- HCNG कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम करता है। इसके अलावा ईंधन में 5% तक की बचत होती है।
- HCNG परीक्षणों ने पारम्परिक CNG की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (लगभग 70%) और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन (लगभग 15%) जैसे वाहन उत्सर्जनों को कम करने की ईंधन की क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- यह इंजन दक्षता में सुधार करता है, CNG बस की तुलना में ईंधन की खपत को 5% तक कम करता है। प्राकृतिक गैस और HCNG दोनों की ऊष्मीय दक्षता भार में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, जो इसे उच्च लोड अनुप्रयोगों और हैवी-ड्यूटी वाहनों के लिए आदर्श ईंधन बनाती है।

5. HCNG से जुड़ी चुनौतियाँ

- अनुकूलित हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस के अनुपात का निर्धारण करना महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा इसके भंडारण एवं आपूर्ति हेतु भारत में अवसंरचना का अभाव है।
- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि HCNG, सीएनजी से अधिक महंगा है, जिससे इसके प्रोत्साहन को कम बल मिलने की संभावना है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट

प्र. राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की कुल लागत का लगभग 20% निजी कोचिंग की फीस में व्यय होता है।
2. भारत सरकार ने 01 जून, 2005 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की कुल लागत का लगभग 20% निजी कोचिंग की फीस में व्यय होता है। भारत सरकार ने 01 जून, 2005 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना की। इस तरह दोनों कथन सही हैं अत: उत्तर (c) होगा।

02 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. योजना के मुताबिक, 15,000 रुपये या उससे ज्यादा दाम के मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित सभी मोबाइल फोन की बिक्री पर 6 फीसदी तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2. इसके तहत भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन बनाने के लिए अगले चार सालों में 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों कि सैमसंग, पेगाट्रॉन, फ्लेक्स और फॉम्सकॉन आदि से चल रही वार्ता अपने अंतिम चरण में है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

03 नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया–2020

प्र. नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020, उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था।
2. 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेक इन इंडिया जैसे नए विचार शामिल हैं।
3. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में पहली बार रक्षा उपकरण लीज पर लेने की बात कही गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (2020) को जारी किया है, जिसमें स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों तथा सैन्य क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण का केन्द्र बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अत: उत्तर (d) होगा।

04 भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम, 2013

प्र. भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम, 2013 तब लागू होता है जब-

1. सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भूमि सहित अपने स्वयं के उपयोग, पकड़ और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।
2. सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों के उपयोग के लिए इसे स्थानांतरित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ भूमि का अधिग्रहण करती है।
3. सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी कंपनियों द्वारा तत्काल और घोषित उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद ए. बोबडे़ ने संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक भूमि अधिग्रहण निर्णय की अभ्रांतता पर सवाल उठाया है, जिसका नेतृत्व उनके पूर्व सहयोगी न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने दिया था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

05 महाराष्ट्र द्वारा वन अधिकार अधिनियम में संशोधन

प्र. महाराष्ट्र द्वारा वन अधिकार अधिनियम में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आदिवासियों को उस जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं।
2. यह पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेअर तक दिया जा सकता है।
3. यह तब लागू होगा जब आदिवासियों द्वारा लगभग उस जमीन पर अपनी तीन पीढ़िया या 75 वर्ष गुजारे गए हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम-2006 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके जरिए आदिवासी और अन्य पारंपरिक रूप से वन-आवास वाले परिवारों को आस-पड़ोस के वन क्षेत्रों में घर बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 FSSAI का डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए दिशा-निर्देश

प्र. एफएसएसएआई का डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए दिशा-निर्देश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) बाजारों में या खुले में बिकने वाली मिठाई की एक्सपायरी डेट को एक अक्टूबर, 2020 से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(b) मिठाई बनाने वाले दुकानदारों को तारीख प्रदर्शित करने से छूट प्रदान की गई है।

(c) FSSAI ने अपनी वेबसाइट में मिठाइयों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा और उसके मानक तय किए हैं।

(d) इसके अलावा नागरिकों को बासी खाना/मिठाई दिए जाने या एक्सपायरी होने के बाद भी इनकी बिक्री की सूचना मिलने पर कार्रवाही के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में FSSAI ने आम नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक नियम बनाया है, कि एक अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की बनने की तारीख और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। इस दिशा-निर्देश में मिठाई बनाने वाले दुकानदार स्वेच्छा से उसके बनाए जाने की तारीख को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार कथन (b) गलत है। इसलिए उत्तर (b) होगा

07 हाइड्रोजन से समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस

प्र. हाइड्रोजन सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एचसीएनजी, सीएनजी का ही एक मिश्रण है।
2. इसमें 18 प्रतिशत हाइड्रोजन होती है।
3. इसे आसानी से सीएनजी पाइपलाइनों और बस डिपो में शामिल किया जा सकता है।
4. ये ईंधन की खपत के मामले में सीएनजी से भी कई गुना बेहतर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एच-सीएनजी के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 'जल जीवन मिशन' (हर घर जल)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश भर में पहला 'हर घर जल' राज्य बना गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, गोवा ने देश में पहला/प्रथम 'हर घर जल' राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है क्योंकि इसने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया है।

जल जीवन मिशन

- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत अगस्त, 2019 में की थी।
- 'जल जीवन मिशन' का उद्देश्य वर्ष 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है। ताकि देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

- भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है।
- भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (या हर घर जल योजना) का जिक्र 2020-21 के केन्द्रीय बजट में भी किया था और इसके लिए धन का आवंटन भी किया था।

'जल जीवन मिशन' के उद्देश्य

- इस योजना के तहत 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन देगी।
- घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी काम किया जाएगा।

'जल जीवन मिशन' के लाभ

- लोगों को घर पर ही पीने का साफ पानी मिलेगा।
- इसके लिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- पानी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

02 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड

चर्चा में क्यों

- हाल ही में प्रधानमंत्री 'श्री नरेंद्र मोदी' ने एक विशेष कार्यक्रम में 'स्वामित्व' (SVAMITVA) योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड (Property Cards) का वितरण किया।

परिचय

- भारत के लाखों लोगों को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए बड़े सुधार के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू-संपत्ति मालिकों को 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया गया।

'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड (Property Cards)

- इस योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।
- इस योजना से भू-संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकेगा।

लाभ

- इस कदम का ग्रामीण भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव दिखेगा और लाखों लोग सशक्त होंगे।
- इससे ग्रामीणों के अपनी भू-संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ होगा।

'स्वामित्व' के बारे में

- 'स्वामित्व' केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है।

- इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है। इसमें से एक लाख गावों को आरंभिक चरण (पायलट फेज) में 2000-21 के दौरान कवर किया जाएगा। इस आरंभिक चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांवों के साथ-साथ से पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे। पंजाब और राजस्थान में नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन (सीओआरएस) नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा।
- इन सभी राज्यों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। इन राज्यों ने डिजिटल संपत्ति कार्ड के प्रारूप और जिन गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जाना है उसे अंतिम रूप दे दिया है। पंजाब और राजस्थान में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना के लिए सर्वे ऑफ इंडिया से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भविष्य में ड्रोन उड़ाने संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में मदद की जा सके।
- अलग-अलग राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग-अलग नाम दिए गए हैं। हरियाणा में 'टाइटल डीड', कर्नाटक में 'रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड' (आरपीओआर), मध्यप्रदेश में 'अधिकार अभिलेख', महाराष्ट्र में 'सनद', उत्तराखंड में 'स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में 'घरौनी' नाम दिया गया है।

03 भारतीय कपास का ब्रांड एवं लोगो (Brand & Logo)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये द्वितीय 'विश्व कपास दिवस' (World Cotton Day) पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो (Brand & Logo) लॉन्च किया।

प्रमुख बिन्दु

- भारतीय कपास के लिए ब्रांड एवं लोगो (Brand & Logo) लॉन्च होने से भारत का कपास, विश्व कपास व्यापार में 'कस्तूरी कॉटन' (Kasturi Cotton) के रूप में जाना जाएगा।
- कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा।

भारत में कपास की स्थिति

- कपास भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से एक है और यह लगभग 6.00 मिलियन कपास कृषकों को आजीविका प्रदान करती है।
- भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
- भारत प्रति वर्ष लगभग 6.00 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23 प्रतिशत है।
- भारत विश्व की कुल जैविक कपास ऊपज के लगभग 51 प्रतिशत का उत्पादन करता है, जो वहनीयता की दिशा में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं सीसीआई

- हाल ही में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कपास का अब तक का सर्वोच्च न्यूनतम

समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रचालन किया है। इससे नए कपास सीजन के दौरान, एमएसपी के तहत कपास की खरीद और बढ़ेगी।

- सीसीआई ने कपास उत्पादक सभी राज्यों में 430 खरीद केंद्र खोले हैं और किसानों के खातों में 72 घंटे के भीतर डिजिटल तरीके से भुगतान किए जा रहे हैं।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, सीसीआई द्वारा एक मोबाइल ऐप 'कौट-ऐली' (Cott-Ally) का विकास किया गया है जिससे कि मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति तथा सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रचलनों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
- एमएसएमई मिलों, खादी ग्रामोद्योग, सहकारी क्षेत्र मिलों को अपनी नियमित बिक्री में सीसीआई द्वारा प्रति कैंडी 300 रुपये की छूट दी जा रही है जिससे कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता एवं दक्षता बढ़ाई जा सके।

विश्व कपास दिवस

- विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- इस दिवस को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation - WTO) द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization& FAO), व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (International Trade Centre - ITC) और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (International Cotton Advisory Committee - ICAC) के सचिवालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
- विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2019 में किया गया था।
- इस दिवस के द्वारा कपास के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है।
- कपास, कपड़ा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह लोगों को बड़ी संख्या रोजगार भी प्रदान करता है। एक टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर का रोजगार प्रदान करता है।
- इस दिवस का मनाने का उद्देश्य विश्वभर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है।

04 एंटी रेडिएशन मिसाइल (रुद्रम)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में डीआरडीओ (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल (रुद्रम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

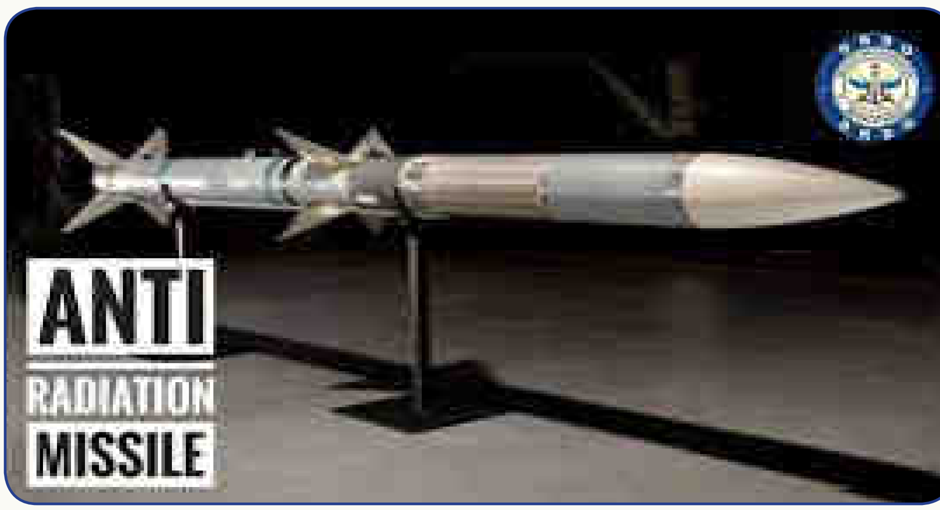

महत्वपूर्ण बिन्दु

- नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल (रुद्रम, RUDRAM) का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा हाल ही में ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप (Wheeler Island) पर परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण सुखोई-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट (SU-30 MKI fighter aircraft) से किया गया है।
- परीक्षण के दौरान रुद्रम ने अपने रेडिएशन लक्ष्य को पिनपॉइंट सटीकता (pin-point accuracy) से टारगेट किया।

रुद्रम (RUDRAM)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम' विकसित की है।
- इस मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है, इसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग-अलग रेंज की क्षमता है।
- इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड (Passive Homing Head) के साथ आईएनएस-जीपीएस नेविगेशन (INS-GPS navigation) है।

पैसिव होमिंग हेड (Passive Homing Head)

- पैसिव होमिंग हेड एक विस्तृत बैंड (wide band of frequencies) पर लक्ष्य का पता लगाने, वर्गीकृत करने और लक्ष्य को इंगेज करने (उलझाने) में सक्षम है।

लाभ

- उपर्युक्त परीक्षण के बाद भारत ने दुश्मन रडार, संचार साइटों (communication sites) और अन्य आरएफ उत्सर्जक लक्ष्यों (RF emitting targets) को बेअसर करने के लिए लंबी दूरी की हवा में लॉन्च की गई एंटी-रेडिएशन मिसाइल (long range air launched anti-radiation missiles) विकसित करने के लिए स्वदेशी क्षमता स्थापित कर ली है।

05 फिनसेन फाइल्स लीक मामला

चर्चा में क्यों

- फिनसेन फाइल्स लीक मामला (FinCEN files leak case) पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन के संदिग्ध लेन-देन का लंबा सिलसिला दर्शाने वाला एक और खुलासा सामने आया है। फिनसेन फाइल्स नाम से चर्चित इस खुलासे ने दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग (गैरकानूनी धन को कानूनी रूप देने) पर नजर रखने वाले तंत्र की कमजोरियां उजागर कर दी हैं।

परिचय

- फिनसेन फाइल्स, लीक हुई उन 2500 से भी ज्यादा गोपनीय फाइलों को कहा जा रहा है जिनमें वर्ष 2000 से 2017 के बीच बैंकों द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को भेजी गई संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट्स (SARs या सार्स) शामिल हैं।
- फिनसेन की लीक हुई ये फाइलें इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय समूह आईसीआईजे (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ) के हाथ लगीं और वहां से दुनिया भर के अखबारों और मीडिया संगठनों के जरिए सार्वजनिक हुई। यही फाइलें भारतीय न्यूज पेपर 'इंडियन एक्सप्रेस' के भी हाथ लगी हैं, जिसके आधार पर इस न्यूज पेपर ने धोखाधड़ी के कई बड़े मामले उजागर किए हैं।

फिनसेन फाइल्स के लीक होने के निहितार्थ

- भारतीय न्यूज पेपर 'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार , फिनसेन फाइलों में कई ऐसे बड़े नेता, नौकरशाह , कारोबारी आदि के नाम हैं जिन्होंने गैर-कानूनी रूप से अवैध धन का हस्तांतरण किया है।
- फिनसेन फाइल्स में न केवल नामी-गिरामी कंपनियों और प्रभावशाली व ताकतवर लोगों के नाम शामिल हैं बल्कि इनसे दुनिया के लगभग सभी बड़े बैंक भी सवालों के घेरे में आ गए हैं।

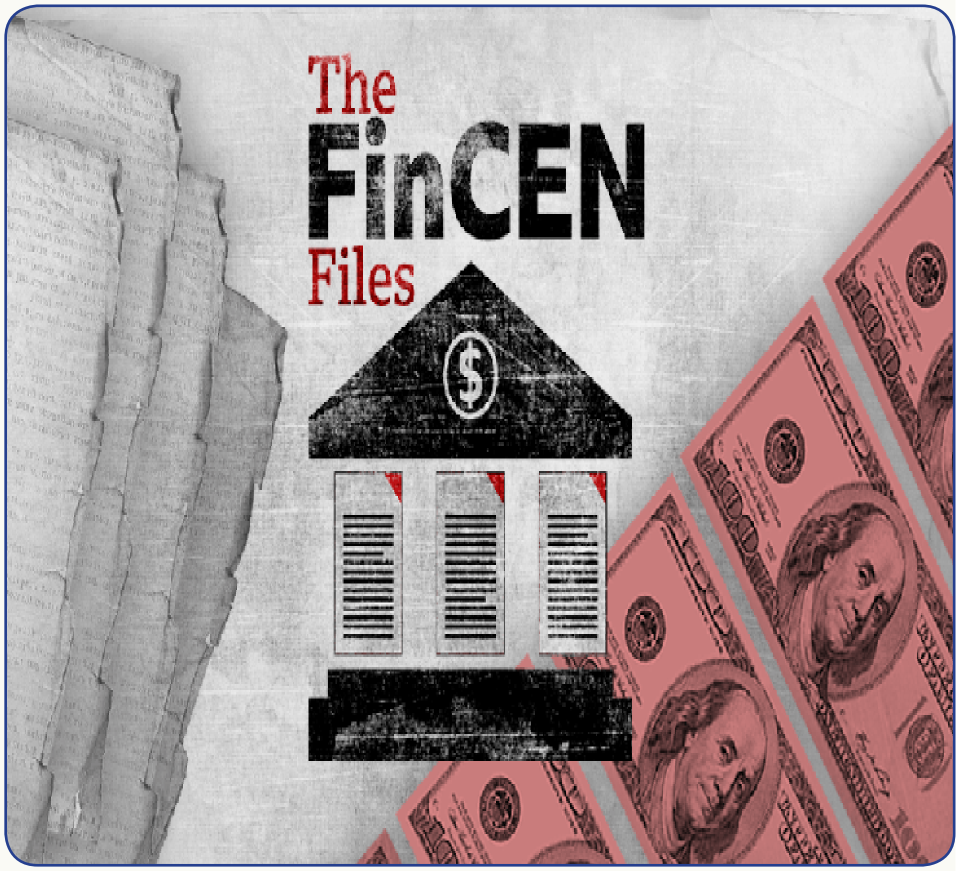

- वर्ष 2000 से 2017 हस्तांतरित हुई संदिग्ध राशि दो लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। प्रसंगवश, भारत के सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कई बड़े बैंकों के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि बैंकों का कहना है कि उन्होंने खुद ही ऐसे लेन-देन और गतिविधियों की सूचना रेग्युलेटरों को सौंपी है इसलिए उन्हें संदेह के घेरे में खींचने का कोई कारण नहीं है।
- बैंकों का कहना है कि सार्स (Suspicious Activity Reports -SAR) में किसी खाताधारी का नाम आना अपराध की पुष्टि नहीं माना जाता, न ही उस सूची को संबंधित व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता है।
- दूसरी तरफ, विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों का दायित्व रेग्युलेटरों तक रिपोर्ट भेजना भर नहीं होता। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने खाताधारकों को पहचानें और संदिग्ध लेनदेन के लिए अपना इस्तेमाल न होने दें। बैंकों के रिपोर्ट भेजने के बाद भी इन खातों के जरिए बड़े पैमाने पर फंड का हस्तांतरण होता रहा, यह तथ्य आपराधिक गतिविधियों से इकट्ठा हुए या आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों की गतिशीलता पर रोक लगाने के लिए बनाए गए पूरे तंत्र की सार्थकता पर सवालिया निशान लगा देता है।

फिनसेन (FinCEN)

- 'वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क' (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने वाली प्रमुख अमेरिकी एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंतर्गत आती है।
- हाल ही में इसने बैंकों द्वारा दर्ज की गई 2500 से अधिक 'संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट' (SARs) दर्ज की हैं।

06 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों

- हाल ही में अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लिक (Louise Gluck) को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिन्दु

- लुईस ग्लिक को यह पुरस्कार उनकी ''शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक पहचान दिलाती है और जिसमें सादगी भरी सुंदरता का अप्रतिम वर्णन है।''

लुईस ग्लिक (Louise Gluck)

- लुईस ग्लिक का जन्म न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में सन 1943 में हुआ था। वह येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं।
- इन्होंने 1968 में अपनी पहली रचना 'फर्स्टबॉर्न' लिखी और वह जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य के सर्वाधिक जाने-माने कवियों की श्रेणी में शामिल हो गईं।
- उनकी कविताएं प्राय: बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता-पिता और भाई-बहनों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर केंद्रित रही हैं। वर्ष 2006 में आया उनका संग्रह 'एवर्नो' एक शानदार संग्रह है।
- लुईस ग्लिक ने अपने संग्रह 'द वाइल्ड आइरिस' (The Wild Iris) के लिए 1993 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था।
- वर्ष 2014 में उन्होंने अपने नवीनतम संग्रह फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट (Faithful and Virtuous Night) के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार (National Book Award) को जीता था।

नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थान एवं समिति

- साहित्य: स्वीडिश अकादमी

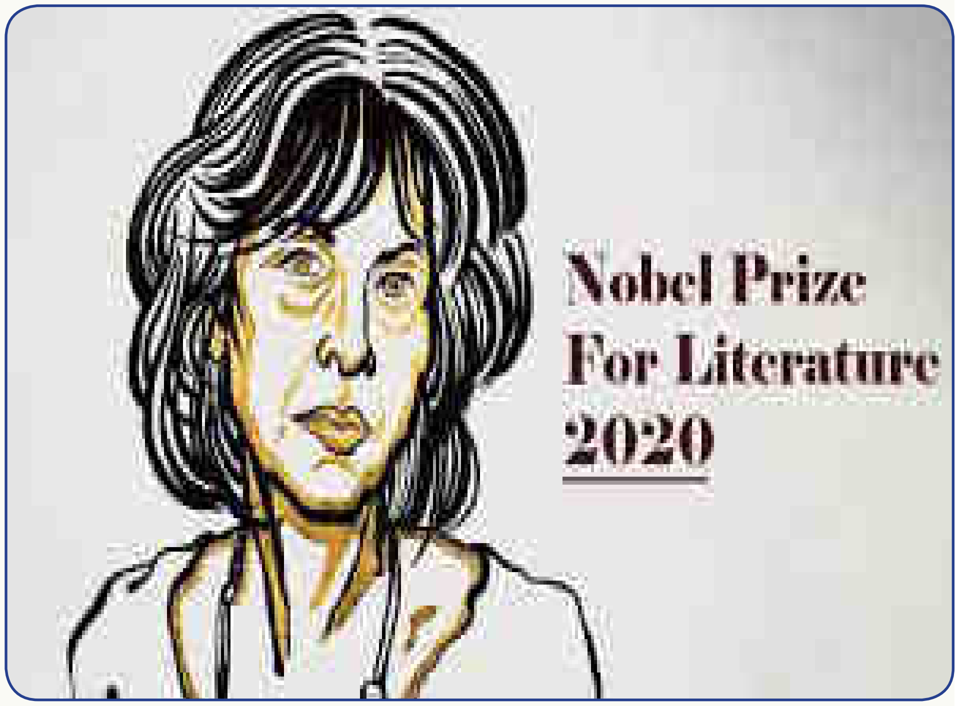

- भौतिकी तथा रसायन विज्ञान: द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज
- अर्थशास्त्र: द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज
- चिकित्सा: करोलिंस्का इंस्टीट्यूट
- शांति: नॉर्वे की संसद (स्टॉर्टिंग) द्वारा चुनी गई पाँच सदस्यीय समिति

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पर विवाद

- पिछले दो वर्षों से साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विवादों में घिरा रहा है ।
- स्वीडिश एकेडमी पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद वर्ष 2018 में इन पुरस्कारों को टाल दिया गया था।
- बाद में एकेडमी का पुर्नगठन किया गया और वर्ष 2019 में दोनों वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।
- वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल 57 वर्ष की पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकरजुक को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिए दिया गया था।
- जबकि 2019 में साहित्य का नोबेल ऑस्ट्रिया के लेखक पीटर हैंडके को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था।
- पीटर हैंडके को नोबेल मिलने को लेकर कई प्रगतिशील लेखक और उदारवादी संगठनों ने विरोध किया था। अल्बानिया, बोस्निया और तुर्की सहित कई देश विरोध स्वरूप नोबेल पुरस्कार समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे।
- नोबेल पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करने वाली समिति के कई सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया था।
- 1990 के दशक के बाल्कन युद्ध के दौरान सर्ब बलों के समर्थक रहे हैंडके को सर्ब युद्ध अपराधों का समर्थक कहा जाता रहा है।
- पीटर हैंडके के विरोध के तार दरअसल यूगोस्लाविया के गृह युद्ध से जुड़े हैं। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैंडके को संयुक्त यूगोस्लाविया और सर्ब-राष्ट्रीयता का समर्थक माना जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूगोस्लाविया के गृह युद्ध के दौरान बोस्निया और कोसोव में हजारों लोगों के नरसंहार को जायज ठहराया था।

07 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'जिरकॉन'

चर्चा में क्यों

- हाल ही में रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'जिरकॉन' (Zircon hypersonic cruise missile) का सफल परीक्षण किया है।

प्रमुख बिन्दु

- रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'जिरकॉन' (Zircon) का परीक्षण बैरंट सागर में किया गया है।
- रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब उसका अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के साथ तनाव चल रहा है।
- रूस के राष्ट्रापति व्लादिमीर पुतिन ने जिरकॉन मिसाइल के सफल परीक्षण की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो देश की सुरक्षा को बढ़ाएगी।
- गौरतलब है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में रूस एक अग्रणी देश है।

'जिरकॉन' (Zircon)

- 'जिरकॉन' (Zircon), एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (hypersonic cruise missile) है, जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा (मैक 8) है।
- इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किमी है अर्थात यह 450 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है ।

मैक संख्या (Mach Number)

- मैक संख्या, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में किसी वस्तु (यथा-विमान आदि) की गति का वर्णन करती है।

- किसी वस्तु की गति मैक-1 है तो इसका मतलब वह वायु में ध्वनि की गति के बराबर चल रही है। इस प्रकार मैक-1 वायु में ध्वनि की गति के बराबर होता है। जिसमें मैक-1 ध्वनि की गति के बराबर होता है यानि 343 मीटर प्रति सेकंड।

सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल

- सबसोनिक मिसाइलों की रफ्तार ध्वनि से कम होती है। इसकी गति 705 मील (1,134 किमी) प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी में अमेरिका की टॉमहॉक, फ्रांस की एक्सोसेट व भारत की निर्भय मिसाइल आती हैं। ये मिसाइलें सस्ती होने के साथ-साथ आकार में छोटी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं।
- सुपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि की रफ्तार से तीन गुना (मैक-3) तक होती है। अधिकतर सुपरसोनिक मिसाइलों की गति 2,300 मील (करीब 3,701 किमी) प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी की सबसे प्रचलित मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसकी रफ्तार 2,100-2,300 मील (करीब 3389 से 3,701 किमी) प्रति घंटे है। सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है।
- हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 3,800 मील प्रति घंटे से भी अधिक होती है। यानी, इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से पांच गुना ज्यादा होती है और इनके लिए स्क्रैमजेट यानी मैक-6 स्तर के इंजन का प्रयोग किया जाता है।

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत की स्थिति

- 07 सितंबर, 2020 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमन्स्ट्रेटर व्हीकल (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
- इससे भारत में भी अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक वाहनों एवं मिसाइलों के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

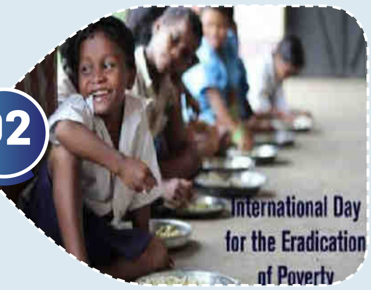

01 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। गरीबी की वैश्विक स्थिति तथा उसे खत्म करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

02 हाल ही में जारी 'वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक' के आँकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। सकल घरेलू उत्पाद की निम्नतर होने के कारणों का उल्लेख करें।

03 स्टार्स (STARS) परियोजना क्या है? यह परियोजना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होगी? वर्णन करें।

04 जिनेवा कन्वेंशन के बारे में बताते हुए, इस कन्वेंशन पर भारत तथा चीन की वर्तमान दृष्टिकोण का उल्लेख करें।

05 नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020, भारत के स्वदेशीकरण तथा आत्मनिर्भर भारत के विकास में किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

06 भूमि अधिग्रहण अधिकार अधिनियम, 2013 पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस अधिनियम की विशेषताओं तथा कमियों का वर्णन करें।

07 भारत-मेक्सिकों संबंध पर टिप्पणी लिखें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03
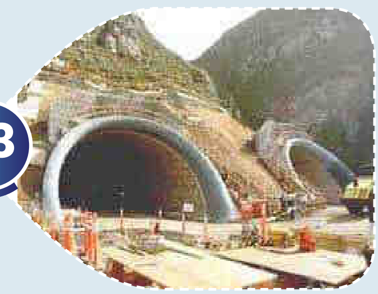

05

01 हाल ही में विश्व बैंक द्वारा समर्थित "STARS" परियोजना किससे संबंधित है?

शिक्षा

02 किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह-अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है?

फ्रांस

03 केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 'जोजिला टनल' का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?

जम्मू और कश्मीर

04 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के लिए किस देश को 'गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) वर्किंग ग्रुप ऑफ द वाइस-चेयर 'नामित किया गया है?

भारत

05 हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'स्वामित्व योजना' शुरू की है। 'स्वामित्व' योजना किससे संबंधित है?

गाँवों में घरों का कानूनी दस्तावेज

06 किस राज्य सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए 'ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी' को मंजूरी दी है?

दिल्ली

07 हाल ही में किर्गिस्तान में आम चुनावों के नतीजों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी का नाम क्या है?

बिशकेक

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02
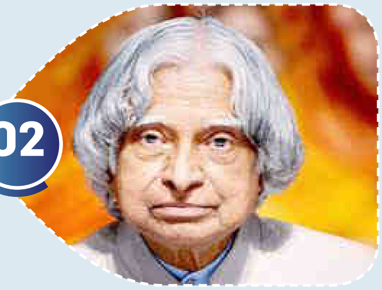

04

06

01 हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

02 मानव समाज में जो कुछ भी मूल्यवान है वह व्यक्ति को मिले विकास के अवसर पर निर्भर करता है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

03 विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरु

04 जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, हकीकत में वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।

डेविड ह्यूम

05 पहली और सबसे बड़ी जीत अपने आप को जीतना है। भविष्य आपको जीत ले यह सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और घिनौना है।

प्लेटो

06 किसी भी इंसान को मारना आसान है, परन्तु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं।

भगत सिंह

07 हम शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए।

लाल बहादुर शास्त्री

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam, classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realising the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies. The distance learning material is comprehensive, concise and memorizable in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 8-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 9591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

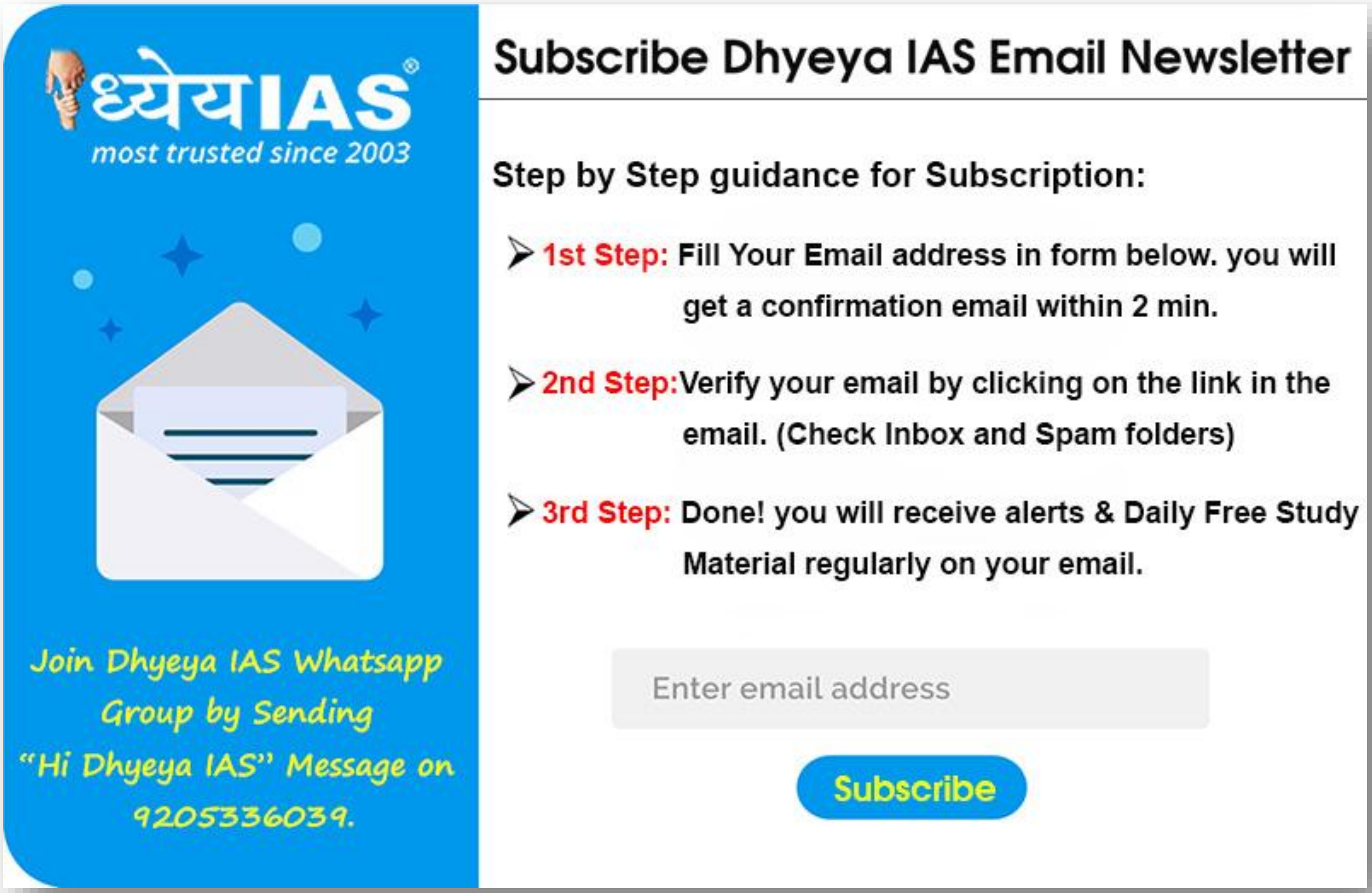

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com